न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :- 03/2018

प्रार्थी

शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 68 वर्ष, जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार मदनलाल पुत्र चनणाराम जाति सारण निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र भानाराम जाति जाट (सारण) निवासी भावी, तहसील बिलाड़ा
2. श्रीमति गोपीदेवी पुत्री भानाराम पत्नी रामूराम, जाति जाट निवासी रेपड़ावास, तहसील सोजतसिटी जिला पाली
3. हीराराम पुत्र मलाराम जाति जाट (सारण) निवासी भावी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 31/07/2018

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जें.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के उतरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी भूमि के दक्षिणी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी हैं, जो माठ एक रास्ते के रूप में कई पीढ़ियों से उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के उतरी दिशा की ओर आम रास्ता आया हुआ है, उक्त रास्ते के बीच दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा मे काश्त कार्य करने हेतु पहुचते है, इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. मार्क की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में आने जाने हेतु ए.बी.सी.डी. मार्क का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में आने–जाने हेतु प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल, छकडा व मवेशी इत्यादि को लेकर जाता है। अतः प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2428 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा की भूमि में बरसात के समय खेत के कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. मार्क स्थित आम रास्ता से होकर आते–जाते है तथा इसी ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल, छकडा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने हेतु का यही एकमात्र ए.बी.सी.डी. मार्क का वैकल्पिक रास्ता है। खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता है, जो खसरा नम्बर 2427 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा में पहुंचता है, जिसमें किसी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को कोई अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने बिना किसी कारण के खसरा नम्बर 2428 में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क स्थित भूमि पर कंटीली बबूल की झाडिया डालकर रास्ता बन्द कर दिया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को भूमि खसरा नम्बर 2428 के ए.बी.सी.डी. भाग पर किये गये रास्ते को बन्द कर नाजायज तौर से बाधा उत्पन्न करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने से वंचित होना पडेगा, जिससे प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। प्रार्थी का यह ए.बी.सी.डी. मार्क का रास्ता आत्यतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु का यह प्रार्थना–पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 2427 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेते है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 2428

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(हस्ताक्षर) रविन्द्र कुमार
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

Scanned by CamScanner

रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा में स्थित ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा में स्थित आने–जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नही करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावें। भूमि खसरा नम्बर 2428 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क के रास्ते में धोरा एवं कंटीली बबूल की झाडियों को पुलिस के जरिये हटाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध दिनांक 19.03.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 16.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने फार्म नम्बर 3 के साथ आपसी सहमति का समझोता दिनांक 17.07.2018 कनाराम बहक शंकरलाल प्रस्तुत किया।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार बिलाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो मौका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 2427 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा मदनलाल पुत्र चनणाराम कौम सरगरा सा. बिलाड़ा के नाम से खातेदारी में दर्ज है उकत प्रकण में उल्लेखित प्रार्थी शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी भावी ने जरिये आम मुख्तयार मदनलाल के खसरा नम्बर 2427 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2428 में से अपने खेत में आता जाता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी खसरा नम्बर 2428 में से है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही है, प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 2428 का रकबा 10 बिस्वा बनता है जिसकी दुगुनी राशि 51750 रूपये बनती है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 28.05.2019 के अनुसार ए.बी.सी.डी. का रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुंचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2427 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा में

सहायक कलेक्टर न्यायालय एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 2428 के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 2427 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2427 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.05.2019 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए.बी.सी.डी. भाग को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चालान अदा कर इस न्यायालय को चालान की प्रति पेश करेंगे। भू. अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 28.05.2019 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

31.7.2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

31.7.2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner